तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **जोराराम बनाम वेला वगैरह, मुकदमा संख्या :– 252/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
05.11.2024	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा चौधरियों का गोलिया पटवार हल्का कीलवा के खसरा संख्या 214 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 216 रकबा 4.55 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.61 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त आराजी में 1/3 हिस्से में 1/2 हिस्सा यानि संपूर्ण भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा नेशनल शेयर से हिसाब में आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी प्रथम भू–प्रबंध में प्रार्थी के दादा रामजी उर्फ रामसी के नाम दर्ज हुई, उनकी मृत्यु के बाद रामजी उर्फ रामसी के तीनों पुत्र क्रमशः प्रार्थी का पिता अप्रार्थी संख्या 1 वेला, वीरा एवं हीरा के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी बाप दादों की आराजी है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्से का हक हकूक जन्मसिद्व से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के पुराना खसरा संख्या 172 जिससे द्वितीय भू–प्रबंध के दौरान नवीन खसरान् का सृजन हुआ। वादग्रस्त आराजी का मौके पर प्रार्थी का शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से कदीमी पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है तथा अन्दर कुंआ भी खुदवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पिता मेरे साथ ही रहते है तथा प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 2 देवाराम के घर भी आते जाते रहते है। प्रार्थी के पिता वेला भी अत्यन्त वृद्व अवस्था के व्यक्ति है जो आंखों से लाचार है तथा दम की बीमारी से ग्रसित है उनका विवेक डगमगाया हुआ है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सख्या 2 ने छलपूर्वक अपनी पत्नी अप्रार्थीया संख्या 3 उगमदेवी के नाम अवैध व गैर कानूनी तरीके से बेचान खसरा संख्या 216 रकबा 4.55 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा संपूर्ण दिनांक 15.09.2010 को कराकर प्रार्थी को अपने पुश्तैनी हकहकूक से वंचित कर हमेशा के लिए भूमिहीन की श्रेणी में खड़ा कर दिया। वादग्रस्त आराजी का कभी भी विधिवत् भू–विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एक नाजायज मजमें के साथ आज से पांच रोज पूर्व वादग्रस्त प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि पर आए तथा ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त भूमि का बेचान जैसे तैसे कर हमारे पक्ष में वेला से करवा लिया है अब आप उक्त भूमि का कब्जा खाली कर देना वरना आपको जबरन बेदखल कर देंगे। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में बेदखल करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान करने का कतई अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का पुश्तैनी शांतिपूर्वक कदीमी कब्जा काश्त है तथा रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन व मनगंढत होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचोर

जाती है कि वादग्रस्त आराजी की नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:35 IST
Reason: SelfAttested